(1)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल

समग्रशिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण,स्कूल शिक्षा विभाग की क्रीडा प्रतियोगिताओ एवं अन्य निर्धारित कार्यक्रम 2019–20

टेंट सामग्री किराये पर लिए जाने हेतु अल्पकालीन निविदा हेतु विस्तृत शर्ते–

समग्रशिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण,स्कूल शिक्षा विभाग की क्रीडा प्रतियोगिताओ एवं अन्य निर्धारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन स्थलो पर टेंट सामग्री **किराये पर लिए जाने हेतु** अल्पकालीन निविदा के माध्यम से दरें आमंत्रित की गई है। निविदा की विस्तृत शर्ते निम्नानुसार हैं:–

01– **निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेंड अथवा प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। इस बाबत् निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।उक्त शपथपत्र रु 500/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।**प्रदाय की जाने वाली सामग्री की दरें निर्धारित फार्म में भरकर ही प्रस्तुत की जावे।निर्धारित फार्म में दरें अंकित न होने की स्थिति में निविदा मान्य नही की जावेगी।यह निविदा पत्र अहस्तांतरणीय है।

02– **संस्था को शासकीय कार्य (टेंट कार्य का) का न्यूनतम 05 वर्ष (निरंतर) का अनुभव होना आवश्यक है।कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न करे। निविदा फार्म के साथ जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन नम्बर एवं जी.एस.टी क्रमांक जो वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किया गया हो ,की छाया प्रति संलग्न करें।**

03 टेंट किराये पर देने हेतु फर्म का जीवित पंजीकरण नगर निगम के द्वारा जारी प्रति पेन क्रमांक एव जी.एस.टी.क्रमांक की प्रति संलग्न करें। समस्त कर (जी.एस.टी अथवा किसी भी प्रकार का कर जो शासन द्वारा निर्धारित है) जमा करने का दायित्व निविदाकर्त्ता का होगा। **कार्यालय द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस. का कटोत्रा किया जावेगा।**

04 किसी भी फर्म की तकनीकी व्यवसायिक एवं आर्थिक क्षमताऐं सामग्री सुविधाओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता प्रतिष्ठा एवं अनुभव महत्वपूर्ण समझा जावेगा। तत्संबंधी प्रमाण फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जावें। निविदा मूलतः संम्बन्धित कार्य करने वाला व्यवसायी ही हो

तथा यह प्रमाण पत्र देना होगा कि वे टेंट सामग्री, जिन कार्यो की दरें दे रहे है,उसके लिए उनके पास पर्याप्त सामग्री एवं साधन उपलब्ध करा सकेंगे।

05 – समिति का निर्णय अंतिम होगा यदि असंतोषजनक गुणवत्ता/किसी प्रकार की कमी/शिकायत प्राप्त होने पर आपका कार्यादेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने तथा अन्य फर्म को कार्यादेश प्रदान करने एवं आपकी धरोहर राशि को जब्त करने का अधिकार **संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग** के पास सुरक्षित रहेगा साथ ही नाम ब्लेक लिस्टेड कर आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निविदाकर्त्ता का होगा। निविदा बगैर बताये मान्य करने एवं अमान्य करने का अधिकार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल के पास सुरक्षित होगा। किसी भी प्रकार के कानूनी कार्य के लिये क्षेत्राधिकार भोपाल स्थित न्यायालय होगा जो कि फर्मओं को मान्य होगा। सभी प्रकार के अधिकार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल के पास सुरक्षित रहेगें।

06 – **दरे निविदा स्वीकृत होने की तिथि से 01 वर्ष तक के लिए अथवा नवीन विज्ञापन प्रकाशन होने तक वैध होगी।**

07 – इस निविदा शर्त के साथ धरोहर राशि **रूपये 100000/– (रु एक लाख मात्र)**का **संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल** के नाम से डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है। चैक/पोस्टल आर्डर/नगद राशि/किसी प्रकार के बचत पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न नही होने पर निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

08 – फर्म को निर्देशानुसार समय एवं निर्धारित स्थान पर सामग्री पहुंचाना एवं लगवाना होगा।जिसकी सूचना समय सीमा में अवगत कराया जायेगा। सामग्री के परिवहन पर होने वाले व्यय का कार्यालय द्वारा भुगतान नही किया जावेंगा।कार्यक्रम स्थल पर क्षतिग्रस्त सामग्री प्राप्त होने की स्थिति में क्षतिग्रस्त /टूटी–फूटी सामग्री का भुगतान नही किया जावेगा। सामग्री लगाने एवं निकालने का उत्तरदायित्व निविदाकर्त्ता का होगा।

09 – कार्यालय द्वारा प्रदाय कार्यादेश में अंकित सामग्री अथवा निर्देशानुसार साफ–सुथरी सामग्री उपलब्ध करानी होगी। कार्यादेश अनुसार सामग्री प्रदाय अथवा उपलब्ध कराने की स्थिति में देयक का भुगतान नही किया जावेगा।

10 – निर्धारित प्रपत्र में समस्त कर(जी.एस.टी सहित)दर ही अंकित की जावे।किसी भी प्रकार के टैक्स/कर का भुगतान कार्यालय संयुक्त संचालक लो.शि.भोपाल संभाग द्वारा पृथक से नही किया जावेगा। **कार्यालय द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस. का कटोत्रा किया जावेगा।**

11 – **विगत 02 वर्षो (2017–18 एवं 2018–19) में 2.00 करोड का टेंट कार्य का टर्नओवर होना आवश्यक है, सी.ए.द्वारा किये गए सी.ए.द्वारा किये गए आडिट प्रतियॉ एवं टर्नओवर का वर्षवर प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न करे। निविदा फार्म के साथ शासकीय कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एवं 02 वर्षो (2017–18 एवं 2018–19)का आई.टी.आर एवं जी. एस.टी की जमा की गई प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।**

12– **कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग द्वारा प्रदाय निर्धारित प्रपत्र पर ही सभी दरें प्रस्तुत की जावें।** निविदा के **दोनो लिफाफों पर** <u>**टेंट सामग्री हेतु अल्पकालीन निविदा 2019–20**</u> आवश्यक रुप से अंकित करें एवं अमानत राशि के ड्राफ्ट के पृष्ट भाग पर फर्म की सील एवं **पर** <u>**टेंट सामग्री हेतु अल्पकालीन निविदा 2019–20**</u> अंकित करे। निविदा के 02 लिफाफे तैयार कर प्रस्तुत किये जावें। **प्रथम लिफाफें** में समस्त आवश्यक एवं वॉछित अभिलेख पेजिंग कर अनुक्रमणिका के साथ एवं **द्वितीय लिफाफें में** कार्यालय द्वारा प्रदाय किये गए प्रपत्र एवं डी.डी.रखे जावें। लिफाफे के **निचले भाग में संस्था के प्रोपराइटर का नाम एवं मोबाईल कमांक** अंकित करे।

13– अपूर्ण/प्रपत्र में दरे अंकित न किये जाने वाली निविदा/शर्तो में उल्लेखित समस्त अभिलेख संलग्न न होने वाली निविदा/समस्त अभिलेखो पर हस्ताक्षर न होने पर प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नही किया जावेगा। निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार **संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल के पास सुरक्षित होगें।**

14–कार्य में नियोजित कारगर एवं श्रमिकों को श्रम नियमो के अंतर्गत न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन वेतन देने तथा ई.पी.एफ एवं ई एस.आई एक्ट ,कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट के प्रावधानो (इनमें से जो लागू हो) के अनुपालन में समस्त जिम्मेदारी निविदाकर्त्ता फर्म की होगी।फर्म द्वारा बाल श्रमिको को नियोजित नही किया जाएगा।

15– जो निविदा मान्य नही होगी उनकी सुरक्षा निधि के ड्राफ्ट मूलतः लौटा दिए जायेंगे।स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होंगा।

16 – सामग्री पहुचाने अथवा लगाने के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना ग्रस्त मजदूर अथवा कर्मी को क्षतिपूर्ति का सम्पूर्ण दायित्व निविदाकर्त्ता का होगा।क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान ना करने की दशा में उक्त हर्जाना राशि की कटोत्रा धरोहर राशि एवं संबंधित फर्म को भुगतान योग्य राशि से कटौत्रा कर दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को भुगतान करने हेतु आयोजन समिति(संयुक्त संचालक लो.शि.भोपाल संभाग) स्वतंत्र होगी।

17– किसी भी फर्म को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने संतोष जनक एवं अच्छी सेवा उपलब्ध न कराने तथा किसी भी विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल का निर्णय अंतिम होगा तथा सेवा निरस्त करने तथा धरोहर राशि को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा । किसी भी प्रकार के कानूनी कार्य के लिये क्षेत्राधिकार भोपाल स्थित न्यायालय होगा जो कि फर्मओं को मान्य होगा।

18– टेंट कार्यो के लिए फर्म को सरकारी को न्यूनतम 05 वर्षो **(निरंतर)** का कार्य अनुभव होना आवश्यक है। प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

19– उत्तम गुणवत्ता का उच्च क्वालिटी/साफसुथरी टेंट सामग्री किराये पर उपलब्ध करना अनिवार्य है। निविदाकर्ता द्वारा सुरक्षा संबंधी सेफ्टी नार्मस का पालन करना होगा। सामग्री कार्यालय के द्वारा बतायें गए स्थान पर उपलब्ध कराना होगी। कार्यक्रम स्थल पर सामग्री लाने, लगाने उतारने तथा समाप्ति पश्चात् ले जाने का दायित्व निविदाकार्ता का होगा,इसके लिए कोई राशि पृथक से देय नहीं होगी।

20– कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग द्वारा प्रदाय निर्धारित प्रपत्र पर ही सभी दरें प्रस्तुत की जावें। समस्त अभिलेख हस्ताक्षरित होना चाहिए।

21– विभाग से काई बार न्यून समय में आयोजन हेतु निर्देशित किया जाता है ।अतः सुविधा की दृष्टि से भोपाल शहर स्थित फर्म ही निविदा में सहभागिता करे। स्थानीय स्थित फर्म ही निविदा सहभागीता कर सकेगी।

22– ईवेन्ट कम्पनी अथवा ईवेंट संस्थाए निविदा में सहभागिता नही कर सकेगी। मूलतः

वास्तविक टेंट सामग्री प्रदाय करने वाली संस्था /फर्म ही निविदा में सहभागिता कर सकेगी।

23 निविदा प्रकिया पूर्ण होने पर् चयनित फर्म को कार्यालय द्वारा कार्यादेश दिये जाने के पश्चात् यदि फर्म द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि करने ,गुणवत्तापूर्ण कार्य अथवा सेवा उपलब्ध न होने पर धरोहर राशि राजसात की जावेगी या कार्यादेश दिये जाने के पश्चात् कार्यालय को प्रस्तुत किये गए देयक से 20 प्रतिशत राशि या कार्यालय की कय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार कटोत्रा किया जावेगा। जो कि चयनित फर्म को मान्य होगा।

संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल